राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] ग्यारहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का पहला दिवस [संख्या : 1

बुधवार
07 नवम्बर, 2001

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। सचिव, विधान सभा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री जसवन्त सिंह माली) : महोदय, मैं उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति तथा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :–

(क) राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2000

(ख) राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2001

(2) राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2001

(3) राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2001

(4) राजस्थान वित्त विधेयक, 2001

(5) जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2001

संदेश

संविधान (91वां संशोधन) विधेयक, 2000 का अनुसमर्थन

महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम '118 का' का (2) के अन्तर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (91वां संशोधन) विधेयक, 2000 का अनुसमर्थन करवाने सम्बन्धी राज्य सभा द्वारा भेजे गये संदेश की सूचना देता हूं, जो निम्नप्रकार है :–

(श्री सचिव, राजस्थान विधान सभा)

PARLIAMENT OF INDIA

RAJYA SABHA SECRETARIAT

Parliament House,
New Delhi-110001

No. RS. 1/63/2000-B

Dated the 11th September, 2001

From

S. Vijay Kumar
Joint Secretary,

To,

The Secretary,
Rajasthan Vidhan Sabha,
Jyoti Nagar, Jaipur-302005.

Subject: The Constitution (Ninety-first Amendment) Bill, 2000 - ratification of.

Sir,

I am directed to state that the *Constitution (Ninety-first Amendment) Bill, 2000 has been passed by the House of the People on the 21st August, 2001 and by the Council of States on the 23rd August, 2001. A copy of the Bill, as introduced in the House of the People and a copy of the Bill, as passed by the House of Parliament, are sent herewith.

2. As the Bill contains amendments which attract the provisions of clauses (a) and (d) of the proviso to clause (2) of Article 368 of the Constitution, the amendments will require to be ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States by a resolution to that effect passed by those Legislatures before the Bill is presented to the President for his assent.

(श्री सचिव, राजस्थान विधान सभा)

3. I am, accordingly, to request that a resolution ratifying the amendments may be placed before the State Legislative Assembly, as early as possible, and the result there of be communicated to this Secretariat.

4. It is suggested that the proposed resolution may be on the following lines :—

"That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of clauses (a) and (d) of the proviso to clause (2) of Article 368, proposed to be made by the Constitution (Ninety-first Amendment) Bill, 2000, as passed by the two Houses of Parliament."

5. The receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,
Sd/-
(S. Vijay Kumar)

---

* When assented to, the Bill will be enacted as the Constitution (Eighty-Fourth Amendment) Act, 2001, in view of the short title in clause 1 of the Bill.

महोदय, मैं राज्य सभा से प्राप्त संदेश भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की महान् विभूति, एमीनेंट पार्लियामेंटेरियन और लोक सभा में विपक्ष के उप नेता स्वर्गीय माधवरावजी सिंधिया का इसमें समावेश करके उनकी भी शोकाभिव्यक्ति व्यक्त की जाए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : इसमें सम्मिलित कर लिया है। शोकाभिव्यक्ति।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्यामलालजी बंशीवाल का भी नाम छूट गया है, उनको भी शामिल कर लें।

श्री अध्यक्ष : श्रद्धांजलि के लिए उनका नाम भी सम्मिलित कर लिया गया है।

(श्री अध्यक्ष)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

सर्वश्री सुधाकर राव नाइक, बी. के. नेहरू, पी. रामचन्द्रन, जगन्नाथ कौशल, जी. रामानुजन, सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी, के. विजय भास्कर रेड्डी, माधव राव सिंधिया, श्यामलाल बंशीवाल, किशन मोटवानी, रामपाल उपाध्याय, जयन्ती लाल कोली, मनोहर सिंह इन्दा, रामधन चौधरी, भालू खां, नाथूराम, रामचन्द्र रोत, बलवन्त राम, मदन सिंह, हरिशंकर एवं गोपी सहाय मीणा

माननीय सदस्यगण,

शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य मंत्री श्री सुधाकर राव नाइक, श्री बी. के. नेहरू, पूर्व राज्यपाल, असम, जम्मू एवं कश्मीर तथा गुजरात, श्री पी. रामचन्द्रन, पूर्व राज्यपाल, केरल, श्री जगन्नाथ कौशल, पूर्व राज्यपाल, विहार, श्री जी. रामानुजन, पूर्व राज्यपाल, उड़ीसा एवं गोवा, श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी, पूर्व राज्यपाल, अरूणाचल प्रदेश, श्री के. विजय भास्कर रेड्डी, पूर्व मुख्य मंत्री, आन्ध्र प्रदेश, श्री माधव राव सिंधिया, एम.पी., श्री श्यामलाल बंशीवाल, एक्स-एम.पी. तथा इस विधान सभा के सदस्य श्री किशन मोटवानी, पूर्व सदस्य श्री रामपाल उपाध्याय, श्री जयन्ती लाल कोली, श्री मनोहर सिंह इन्दा, श्री रामधन चौधरी, श्री भालू खां, श्री नाथूराम, श्री रामचन्द्र रोत, श्री बलवन्त राम, श्री मदन सिंह तथा श्री गोपी सहाय मीणा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य मंत्री तथा हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री सुधाकर राव नाइक का जन्म 21 अगस्त, 1934 को महाराष्ट्र के यवतमाल जिला के पुसद तालुका के गाहूली ग्राम में हुआ। आपने बी.ए. तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री नाइक जून, 1977 में महाराष्ट्र विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए। इसके बाद आप वर्ष 1978, 1980, 1985 तथा 1990 में महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। विधान परिषद् तथा विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप महाराष्ट्र सरकार में विभिन्न विभागों के मंत्री रहे। जून, 1991 से मार्च, 1993 तक आप महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री रहे। जुलाई, 1994 से सितम्बर, 1995 तक आप हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे।

श्री नाइक वर्ष 1972 से 1977 तक यवतमाल जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव तथा जिला परिषद् के अध्यक्ष रहे। आप वर्ष 1962 से 1972 तक पुसद तालुका पंचायत समिति के चेयरमैन भी रहे। अनेक शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे श्री नाइक की पत्रकारिता में विशेष रूचि थी। आप मराठी साप्ताहिक

(श्री अध्यक्ष)

"ग्राम स्वराज्य" तथा मराठी पत्रिका "सोनाली" के सम्पादक रहे।

श्री सुधाकर राव नाइक का दिनांक 10 मई, 2001 को निधन हो गया।

असम, जम्मू एवं कश्मीर तथा गुजरात के पूर्व राज्यपाल श्री बृजकुमार नेहरू का जन्म 4 सितम्बर, 1909 को इलाहाबाद में हुआ। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद लंदन स्कूल आफ इकोनोमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की।

श्री नेहरू वर्ष 1934 में भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गये तथा भारत सरकार में विभिन्न पदों पर रहते हुए वर्ष 1957 में आर्थिक मामलों के सचिव के पद पर पहुंचे। आप वर्ष 1961 से 1968 तक अमरीका में भारत के राजदूत तथा वर्ष 1973 से 1977 तक ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त रहे। आपको वर्ष 1968 में असम और नागालैण्ड का, 1981 में जम्मू एवं कश्मीर तथा 1985 में गुजरात का राज्यपाल बनाया गया। आप मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद पर भी आसीन रहे।

श्री नेहरू ने अनेक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपने अनेक पुस्तकें भी लिखीं। वर्ष 1999 में आपको पद्मविभूषण में सम्मानित किया गया।

श्री बी. के. नेहरू का दिनांक 31 अक्टूबर, 2001 को निधन हो गया।

केरल के पूर्व राज्यपाल, स्वतंत्रता सेनानी तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री पी. रामचन्द्रन का जन्म 15 जुलाई, 1921 को तमिलनाडु के उत्तरी अर्काट जिले के कोरूक्काई ग्राम में हुआ। आपने मद्रास विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की।

श्री पी. रामचन्द्रन 27 अक्टूबर, 1982 से 23 फरवरी, 1988 तक केरल के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। इससे पूर्व आप वर्ष 1977 में छठी लोक सभा में जनता पार्टी के सांसद चुने गये तथा श्री मोरारजी देसाई के मंत्रिमण्डल में ऊर्जा मंत्री रहे। आप वर्ष 1957 से 1967 तक मद्रास राज्य विधान सभा के सदस्य भी रहे। वर्ष 1962 से 1967 तक आप सरकारी सचेतक के पद पर आसीन रहे। आप भारतीय खाद्य निगम में चेयरमैन भी रहे।

"सादा जीवन उच्च विचार" में आस्था रखने वाले श्री रामचन्द्रन ने श्री कामराज के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। कांग्रेस संगठन में वर्ष 1953 से 1955 तक युवा कांग्रेस के संयोजक रहे। श्री रामचन्द्रन वर्ष 1969 से 1972 तक तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे।

श्री पी. रामचन्द्रन का दिनांक 23 मई, 2001 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

पूर्व सांसद तथा बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री जगन्नाथ कौशल का जन्म 23 अप्रैल, 1915 को पंजाब में हुआ। आपने बी.ए. व एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री जगन्नाथ कौशल 16 जून, 1976 से 27 मई, 1978 तथा 26 जून, 1978 से 31 जनवरी, 1979 तक बिहार के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। इससे पूर्व आप अप्रैल, 1952 से अप्रैल, 1964 तक पंजाब से राज्य सभा में कांग्रेस के सांसद रहे।

श्री जगन्नाथ कौशल का दिनांक 31 मई, 2001 को निधन हो गया।

गोवा तथा उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल श्री गोपाला रामानुजम का जन्म 28 मई, 1915 को तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के एदीरकोट्टल्ली ग्राम में हुआ।

श्री जी. रामानुजम 4 अगस्त, 1994 से 15 जून, 1995 तक गोवा के तथा 18 जून, 1995 से 13 दिसम्बर, 1997 तक उड़ीसा के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे।

स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान ही श्रमिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय रहे श्री रामानुजम वर्ष 1947 में स्थापित इण्डियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। आप इस संस्था के महासचिव तथा अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे।

श्री रामानुजम काटन कारपोरेशन आफ इण्ड़िया तथा सेन्ट्रल बोर्ड फोर वर्कर्स एजुकेशन के चेयरमैन रहे। आप इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के डाइरेक्टर भी रहे। आप राष्ट्रीय एकता परिषद्, राष्ट्रीय श्रम आयोग सहित अनेक संस्थाओं के सदस्य रहे।

औद्योगिक शांति के क्षेत्र में आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको डा. सर जहांगीर गांधी मैडल प्रदान किया गया। वर्ष 1985 में आपको पद्मभूषण से भी सम्मानित किया गया।

आपने अनेक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया। औद्योगिक सम्बन्धों तथा श्रमिक समस्याओं पर अंग्रेजी और तमिल भाषा में आपकी आठ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

श्री जी. रामानुजम का दिनांक 26 जून, 2001 को निधन हो गया।

अरूणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी का जन्म 11 फरवरी, 1913 को उड़ीसा के कटक जिले के खन्दासाही गांव में हुआ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी 26 मार्च, 1991 से 4 जुलाई, 1993 तक अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। आप वर्ष 1952 से 1956 तक राज्य सभा के

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य रहने के बाद दूसरी, तीसरी एवं चौथी लोक सभा में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सांसद रहे। लोक सभा में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता रहे श्री द्विवेदी तीसरी लोक सभा में सभापति तालिका के सदस्य भी रहे।

श्री द्विवेदी महात्मा गांधी के आह्वान पर वर्ष 1930 में ही भारत के स्वाधीनता आन्दोलन में शामिल हो गये थे। आपने "भारत छोड़ो आन्दोलन" सहित विभिन्न आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया और 6 बार जेल भी गये।

पत्रकारिता में रूचि रखने वाले श्री द्विवेदी उड़िया साप्ताहिक "कृषक" के संस्थापक सम्पादक रहे। आप "नेशनल हेराल्ड" सहित अनेक समाचार पत्रों से जुड़े रहे। आपने इंग्लिश एवं उड़िया में अनेक पुस्तकें भी लिखीं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी का दिनांक 1 अक्टूबर, 2001 को निधन हो गया।

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और आन्ध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री कोटाला विजय भास्कर रेड्डी का जन्म 16 अगस्त, 1920 को आन्ध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के अमकाथाडू ग्राम में हुआ। आपने बी.ए., एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री रेड्डी वर्ष 1977, 1980, 1989, 1991, 1996 तथा 1998 में हुए आम चुनावों में कांग्रेस के सांसद निर्वाचित हुए। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप वर्ष 1983-84 तथा 1991-92 में केन्द्रीय सरकार में केबिनेट मंत्री रहे।

आप वर्ष 1955-61 में आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के तथा वर्ष 1967-72 में आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य रहे। वर्ष 1967-71 में आप आन्ध्र प्रदेश सरकार में सहकारिता, सिंचाई तथा वित्त विभागों के मंत्री रहे। आप 20 सितम्बर, 1982 से 9 जनवरी, 1983 तक आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहे। वर्ष 1992 में आप दसवीं लोक सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देकर आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और 9 अक्टूबर, 1992 से 12 दिसम्बर, 1994 तक दूसरी बार आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के पद पर आसीन रहे।

श्री रेड्डी ने स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। कांग्रेस पार्टी में आप प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति के प्रमुख तथा कांग्रेस संसदीय दल की राजनीतिक कार्यसमिति के सदस्य भी रहे। श्री रेड्डी अपने लम्बे राजनीतिक जीवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आन्ध्र प्रदेश के अध्यक्ष सहित अनेक पदों पर रहे।

श्री कोटला विजय भास्कर रेड्डी का दिनांक 27 सितम्बर, 2001 को निधन हो गया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री माधव राव सिंधिया का जन्म 10 मार्च, 1945 को बम्बई में हुआ। आपने विंचेस्टर कालेज और न्यू कालेज,

(श्री अध्यक्ष)

आक्सफोर्ड (ब्रिटेन) में अध्ययन कर एम.ए. की उपाधि प्राप्त की। श्री सिंधिया पांचवीं से वर्तमान तेरहवीं लोक सभा तक लगातार नौ बार कांग्रेस के सांसद निर्वाचित हुए। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप विभिन्न मंत्रालयों की अनेक परामर्शदात्री समितियों के सदस्य रहे। आठवीं लोक सभा के कार्यकाल में आप केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री तथा दसवीं लोक सभा के कार्यकाल में आप पहले नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा बाद में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे। वर्तमान लोक सभा में आप कांग्रेस पार्टी के उप नेता थे।

खेलकूद और वन्य जीव संरक्षण में विशेष रूचि रखने वाले श्री सिंधिया खेलकूद से सम्बद्ध अनेक संस्थाओं तथा क्लबों के अध्यक्ष रहे। आप 1990 से 1993 तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रहे। आप अनेक शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष रहे। श्री सिंधिया ने अनेक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया तथा कुल 27 देशों की यात्राएं की।

श्री माधव राव सिंधिया का दिनांक 30 सितम्बर, 2001 को निधन हो गया।

श्री श्यामलाल बंशीवाल का जन्म 20 अगस्त, 1947 को दिल्ली में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। श्री बंशीवाल ग्यारहवीं तथा वर्तमान तेरहवीं लोक सभा के लिए टोंक निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निर्वाचित हुए। लोक सभा में आप खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। सामाजिक कार्य में रूचि रखने वाले श्री बंशीवाल को भक्ति संदेश में भी रूचि थी।

श्री श्यामलाल बंशीवाल का दिनांक 22 मई, 2001 को निधन हो गया।

राजस्व मंत्री श्री किशन मोटवानी का जन्म 1 मार्च, 1936 को सकरन्द, जिला नवाबशाह सिन्ध (पाकिस्तान) में हुआ। आपने बी.ए., एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री मोटवानी वर्तमान ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा के लिए अजमेर (पश्चिम) निर्वाचन क्षेत्र से इण्डियन नेशनल कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। इससे पूर्व आप पांचवीं, आठवीं और दसवीं विधान सभा में भी अजमेर (पश्चिम) से कांग्रेस के विधायक रहे। 5 दिसम्बर, 1998 को आपको राजस्थान सरकार में राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री बनाया गया।

आठवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप 28 अक्टूबर, 1986 से 1 मार्च, 1990 तक राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष के पद पर आसीन रहे। आप जन लेखा समिति सहित अनेक समितियों के सदस्य रहे। शहर जिला कांग्रेस कमेटी, अजमेर के अध्यक्ष रहे श्री मोटवानी की समाज सेवा में विशेष रूचि थी।

(श्री अध्यक्ष)

श्री किशन मोटवानी का दिनांक 1 जनवरी, 2001 को निधन हो गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक जनवरी नहीं साहब, एक नवम्बर।

श्री अध्यक्ष : हां, 1 नवम्बर। श्री मोटवानी का दिनांक 1 नवम्बर, 2001 को निधन हो गया।

राजस्थान के पूर्व मंत्री श्री रामपाल उपाध्याय का जन्म 24 जुलाई, 1935 को भीलवाड़ा जिले की रायपुर तहसील के ग्राम रेवाड़ा में हुआ। आपने डी.ए.वी. कालेज, अजमेर तथा इलाहाबाद विश्व-विद्यालय में अध्ययन कर एम.ए. तथा साहित्य रत्न की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री रामपाल उपाध्याय सातवीं, आठवीं, व दसवीं राजस्थान विधान सभा में सहाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1980-81 में राजस्थान सरकार में उप मंत्री तथा वर्ष 1981-82 में राज्य मंत्री रहे। मार्च, 1985 से सितम्बर, 1986 तक आप राजस्थान सरकार में शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, समाज कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग आदि विभागों के मंत्री रहे। वर्ष 1983 से 1985 तक आप प्राक्कलन समिति (ख) के सभापति भी रहे।

आप वर्ष 1967 से 1973 तक जिला कांग्रेस कमेटी, भीलवाड़ा के अध्यक्ष रहे। पंचायत समिति, सहाड़ा के प्रधान रहे श्री उपाध्याय गंगापुर को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी के चेयरमैन तथा भीलवाड़ा सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के डायरेक्टर भी रहे। श्री उपाध्याय सहकारिता, पंचायत राज तथा समाज सुधार के क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय रहे।

श्री रामपाल उपाध्याय का दिनांक 11 अगस्त, 2001 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री जयन्ती लाल कोली का जन्म 4 अगस्त, 1967 को सिरोही जिले के ग्राम रानाड़ी में हुआ। आपने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रेवदर से सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री जयन्ती लाल कोली दसवीं राजस्थान विधान सभा के लिए वर्ष 1993 में सिरोही जिले के रेवदर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल में आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। वर्ष 1991 में आप अनुसूचित जाति मोर्चा, सिरोही के जिलाध्यक्ष रहे।

श्री जयन्ती लाल कोली का दिनांक 7 सितम्बर, 2001 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री मनोहर सिंह इन्दा का जन्म 15 जून, 1961 को जोधपुर जिले के बेलेवा ग्राम में हुआ। आपने एम.ए. (इतिहास) तथा बी.एड. की उपाधियां प्राप्त कीं।

(श्री अध्यक्ष)

श्री मनोहर सिंह इन्दा नौवीं राजस्थान विधान सभा के लिए वर्ष 1990 में शेरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप प्राक्कलन समिति (ख), प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, भाषा एवं चुनाव विभागों की परामर्शदात्री समिति तथा यातायात, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। जनसेवा तथा जनहित के कार्यों में सदा सक्रिय रहे श्री इन्दा की सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों में विशेष रूचि रही।

श्री मनोहर सिंह इन्दा का दिनांक 4 जून, 2001 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री रामधन चौधरी का जन्म अक्टूबर, 1942 में नागौर जिले की लाड़नूं तहसील के टोकी ग्राम में हुआ। आपने कला महाविद्यालय, ग्वालियर एवं भोपाल में अध्ययन कर बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री रामधन चौधरी वर्ष 1980 में सातवीं राजस्थान विधान सभा के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लाडनूं निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुये। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। आप वित्त करारोपण, आबकारी, शिक्षा, भाषा तथा वक्फ विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। श्री चौधरी श्रमिकों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते थे।

श्री रामधन चौधरी का दिनांक 27 जुलाई, 2001 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री भालू खां का जन्म वर्ष 1932 में चूरू जिले के सहजूसर ग्राम में हुआ। आपने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री भालू खां सातवीं राजस्थान विधान सभा के लिए वर्ष 1980 में चूरू निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप नियम समिति तथा जन लेखा समिति के सदस्य रहे। आप चूरू जिले की सूखा सम्भाव्य क्षेत्र परियोजना क्रियान्वयन समिति तथा समाज कल्याण बोर्ड के सदस्य रहे। आप राजस्थान भूमि विकास बैंक, जिला चूरू के अध्यक्ष भी रहे।

वर्ष 1965 से 1978 तक ग्राम पंचायत, सहजूसर के सरपंच रहे श्री भालू खां चूरू जिले की कृषि मण्डी के निदेशक, जिला वक्फ कमेटी के अध्यक्ष तथा राजस्थान हज कमेटी के सदस्य भी रहे। आप कांग्रेस संगठन के विभिन्न पदों पर रहे। आपने वर्ष 1978 में श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी के समय जेल यात्रा भी की। श्री भालू खां अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्ग के

(श्री अध्यक्ष)

लोगों के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री भालू खां का दिनांक 25 जून, 2001 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री नाथूराम का जन्म 5 अक्टूबर, 1917 को बांसवाड़ा जिले की तहसील गढ़ी के गांव बोरी में हुआ। आपने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री नाथूराम देसूरी से छठी (1957-1980) राजस्थान विधान सभा तक लगातार बागीदौरा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। छठी विधान सभा में आप जनता पार्टी के तथा इससे पूर्व कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनेक समितियों के सदस्य रहे। आप लगभग 15 वर्ष तक बांसवाड़ा में अध्यापक रहे। ग्राम पंचायत बोरी एवं तहसील पंचायत गढ़ी के सरपंच रहे श्री नाथूराम आदिवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

श्री नाथूराम का दिनांक 2 अक्टूबर, 2001 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री रामचन्द्र रोत का जन्म डूंगरपुर में हुआ। आपने मैट्रिक एवं विशारद् की शिक्षा प्राप्त की।

श्री रामचन्द्र रोत वर्ष 1972 में पांचवीं राजस्थान विधान सभा के लिए डूंगरपुर जिले के चौरासी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। श्री रामचन्द्र रोत पंचायत समिति, सीमलवाड़ा, के प्रधान तथा राजस्थान गौ सेवा संघ, डूंगरपुर के मंत्री रहे। निर्भीक व स्वाभिमानी व्यक्तित्व के धनी श्री रोत जनजाति अंचल में शिक्षा का अलख जगाने के साथ ही स्वाधीनता आन्दोलन से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे।

श्री रामचन्द्र रोत का दिनांक 8 अगस्त, 2001 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री बलवन्त राम का जन्म सन् 1927 में धौलपुर जिले के ग्राम बाड़ी में हुआ। आपने आठवीं तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री बलवन्त राम वर्ष 1967 में चौथी राजस्थान विधान सभा के लिए बाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे। श्री बलवन्त राम राजस्थान बालक विधेयक, 1969 तथा राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 1970 के सम्बन्ध में गठित प्रवर समितियों के सदस्य रहे। आपको वर्ष 1960 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान तथा वर्ष 1970 में भारतीय रेल बोर्ड, झांसी का सदस्य बनाया गया। श्री बलवन्त राम समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए सदैव जागरूक रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री बलवन्त राम का दिनांक 8 मई, 2001 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री मदन सिंह का जन्म 19 अगस्त, 1926 को सिरोही जिले के ग्राम भेव में हुआ। आपने मैट्रिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री मदन सिंह वर्ष 1967 में चतुर्थ राजस्थान विधान सभा के लिए सिरोही निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1961 में सिरोही जिले की शिवगंज पंचायत समिति के उप प्रधान और वर्ष 1963 से 1967 तक प्रधान रहे।

सामाजिक कार्यों में रूचि रखने वाले श्री मदन सिंह अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

श्री मदन सिंह का दिनांक 27 सितम्बर, 2001 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री हरिशंकर का जन्म 1 फरवरी, 1932 को धौलपुर में हुआ। आपने बी.ए. की उपाधि प्राप्त की। श्री हरिशंकर वर्ष 1962 में तृतीय राजस्थान विधान सभा के लिए धौलपुर निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। आप नगरपालिका, धौलपुर के सदस्य भी रहे। ग्रामीण उत्थान व सामाजिक कार्यों में आपकी विशेष रूचि रही।

श्री हरिशंकर का दिनांक 2 नवम्बर, 2001 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री गोपी सहाय मीणा का जन्म वर्ष 1917 में सवाईमाधोपुर जिले के सांकरवाड़ा ग्राम में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री गोपी सहाय मीणा द्वितीय राजस्थान विधान सभा के लिए महुवा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव सक्रिय रहे। टोडाभीम पंचायत समिति के प्रधान रहे श्री मीणा ग्राम पंचायत, सांकरवाड़ा के लगातार 30 वर्ष तक सरपंच रहे।

गांधीवादी सिद्धान्तों के समर्थक श्री मीणा जाति-प्रथा जैसी सामाजिक बुराई को दूर करने हेतु सदा प्रयत्नशील रहे। काश्तकारी तथा सामाजिक कार्यों में आपकी विशेष रूची रही।

श्री गोपी सहाय मीणा का दिनांक 30 जून, 2001 को निधन हो गया।

मैं, दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है मेरे पिताजी का नाम भी इसमें आया है। मैं

(श्री रामस्वरूप)

भी अपनी ओर से आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसी महान विभूति जिन्होंने प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन सारी भाषाओं का जिनको ज्ञान था। यह उनकी हस्तलिपि है। उर्दू, फारसी वगैरह सारी भाषा वह जानते थे। देश सेवा के लिए उन्होंने काम किया था। अंत में वह राम-राम कहते हुए, मेरे पिता श्री गोपी सहायजी चले गये। राम-राम कही राम कही राम-राम कही राम, श्री गोपी सहायजी चले गये श्रीधाम।

श्री अध्यक्ष : अभी पूरा हाउस उनको श्रद्धांजलि दे रहा है।

मैं, दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सदन की सुरक्षा का सवाल है। एक अजनबी व्यक्ति जो अभी अधिकारी दीर्घा में बैठे हैं, जब आप शोकाभिव्यक्ति कर रहे थे, वह सदन में आये और खेमराजजी कटारा की पीछे वाली सीट पर आकर दो मिनट बैठे रहे फिर उठ कर चले गये और अब आकर अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : गलती से ध्यान नहीं रहा तो आ गये होंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : सदन में गलती क्या होती है, सुरक्षा का सवाल है। कौन हैं, कैसे आ गये। मेरा काम सदन का और माननीय अध्यक्षजी का ध्यान आकर्षित कराने का था। (व्यवधान) सदन में आकर बैठ गये शोकाभिव्यक्ति के समय, सदन की सुरक्षा का सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आप सुरक्षा के नाम पर सदस्यों को चिट्ठी लिख रहे हैं, यह नहीं लाये, वह नहीं लाये। और कोई व्यक्ति आये और आकर विधान सभा में सीट पर बैठ जाये और उसके बाद दो-तीन मिनट बैठा रहे और फिर आकर वह अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए हैं। कौन हैं, कैसे आये, क्या हैं? यह सदन की सुरक्षा का सवाल है। हमारा तो काम आपका ध्यान आकर्षित करने का है। वह वहां पर सफारी पहने हुए बैठे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार का सवाल है। आकर वहां पर बैठे रहे और आप शोकाभिव्यक्ति कर रहे थे। कुछ देर खड़े रहे उसके बाद बैठे रहे, फिर चले

(मोहम्मद माहिर आजाद)

गये, फिर घूम फिर करके आकर अब अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए हैं। कौन हैं, क्या हैं सदन को कृपया अवगत कराएं।

श्री अध्यक्ष : सदस्य ने अनुमति दी है इसलिए बैठे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : अधिकारी है, कोई कर्मचारी होता तो शायद आप अब तक उनको सस्पैंड भी कर देते।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 8 नवम्बर, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.44 बजे गुरुवार, दिनांक 8.11.2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)